फर्द अहकाम
अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर
कैनाराम पुत्र दुर्गाराम बनाम महावीरसिंह पुत्र विजयसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, अपील संख्या 1044/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.12.2025	पत्रावली पेश हुई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आज दिनांक 01.12.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत अपील को प्रत्याहित करने, का पेश करते हुए यह कथन किया गया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यथी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। ऐसे में अपीलार्थी मौजूदा अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा इसी स्तर पर अपील को विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को प्रत्याहरित करने का आदेश फरमावें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया गया उसमें अंकित तथ्यो पर गहनता से मनन, चिन्तन किया गया। अपीलार्थी उक्त विचाराधीन अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। ऐसे में अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2025 को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना इस अपील को और विचाराधीन नहीं रखते हुए इसी स्तर पर निस्तारण करते हुए अपील को प्रत्याहरित/ खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	